जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, धनबाद।

मनरेगा कोषांग

नियुक्ति विज्ञापन

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय धनबाद द्वारा मनरेगा अन्तर्गत तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्गत पत्र सं0 1231 दिनांक 08.09.2018 द्वारा प्रकाशित नियुक्ति विज्ञापन को अपरिहार्य कारणों से रदद करते हुए ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–4729 दिनांक 04.06.2007 के द्वारा निर्गत नियुक्ति सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य नियमावली, 2007 एवं संकल्प सं0–6440 दिनांक 17.07.2012 के द्वारा निर्गत नियुक्ति, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012 तथा पत्रांक एन 848 दिनांक 21.03.2017 के आलोक में मनरेगा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति (पूर्णतया संविदा आधारित) हेतु मेधा सूची एवं पैनल निर्माण के लिए धनबाद जिले के स्थानीय निवासीयों/अभ्यर्थियों से आवश्यक योग्यतानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी संबंधित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ निबंधित /स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से दिनांक 28-01-2019 को अप0 05.00 बजे तक निम्न पते पर उपलब्ध करा सकेगें।

उप विकास आयुक्त,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय,
मिश्रित भवन, द्वितीय तल, धनबाद– 826001

क्र0	पद का नाम	कोटिवार रिक्त पदों की सं0					कुल रिक्त पद
		अना0	अत्य0पि0व0	पि0व0	अ0जा0	अनु0ज0जाति	
1	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	7	2	1	2	1	13

शैक्षणिक योग्यता–

तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	**अनिवार्य योग्यता–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। **अतिरिक्त योग्यता–** 1. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय मे बी0टेक0/बी0ई0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। 2. बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेगें तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि मे तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोडा जायेगा। 3. एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडें जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटा दिया जायेगा। (नोटः– ग्रा0वि0वि0,झारखण्ड,सरकार,रॉची के ज्ञापांक 1187 दिनांक 01.03.2013 के आलोक में सिविल संकाय में बी0टेक0 संबंधित योग्यता वाले अभ्यर्थि भी आवेदन समर्पित कर सकते है।)

ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में प्राप्तांक के स्थान पर ग्रेड का उल्लेख है वे संबंधित संस्थान से **ग्रेड का प्राप्तांक में सम्परिवर्त्तन प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे**, जिनसे उनके चयन प्रक्रिया में कठिनाई उप्पन्न न हो।

आयु सीमा दिनांक 01 अगस्त 2018 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतमः–

क्र0	कोटि	आयु सीमा
1	अनारक्षित	35 वर्ष
2	पिछडा/अ0पि0वर्ग0	37 वर्ष
3	महिला (अना0/पि0/अ0पि0वर्ग0)	38 वर्ष
4	अन0जाति/अनु0जन0जाति0 (पु0 एवं म0)	40 वर्ष

नोट– आवेदक धनबाद जिले का स्थानीय निवासी हो।

आरक्षणः–

1. आवेदन में निहित प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति एवं स्थानीय प्रमाण पत्र दिनांक 18.04.2016 के उपरान्त का हो।
2. स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की संकल्प सं0–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018/3854 रॉची,दिनांक 01.06.2018 प्रभावी होगी।
3. जाति एवं स्थानीय निवासी के संबंध में विहित प्रपत्र में कम से कम अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से अध्यतन परिपत्र के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

परिलब्धि/ मानदेय–

तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	17520.00 (सतरह हजार पॉच सौ बीस रूपये मात्र) एक मुस्त संविदा राशि।

नियुक्ति एवं पैनल निर्माण के नियम तथा भार्त्तेः–

1. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का विभाग/सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
2. ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प स0 एन 848 दिनांक 21.03.2017 के आलोक में Selection Process के अन्तर्गत Walk-in-interveiw के तहत दक्षता परीक्षा Online Written Test (लिखित/बहुवैकल्पिक प्रश्न) लिया जायेगा जो मात्र qualifying nature के होगें। अभ्यर्थियों का Online Written Test का तिथि एवं समय का निर्धारण कर बाद में दैनिक अखबार एवं धनबाद जिला के Website www.dhanbad.nic.in के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
3. दक्षता परीक्षा के पश्चात qualify अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एक अंतरिम मेधा सूची तैयार किया जायेगा। उक्त अंतरिम मेधा सूची मे से रिक्त पदो के विरूद्ध दो गुणा अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जॉच हेतु बुलाया जायेगा। तत्पश्चात अंतिम मेधा सूची का निर्माण करते हुए कोटिवार सफल अभ्यर्थियों का प्रकाशन जिले के बेवसाईट एवं इसकी सूचना दैनिक अखबार में प्रकाशित किया जायेगा।

दक्षता परीक्षा का qualifying अंक निम्नप्रकार होगाः–

qualifying का न्यूनतम प्रतिशत (अनिवार्य)		
अनारक्षित	अ0पि0व0/पि0व0	अनु0जनजाति/अनु0जाति
60	50	40

4. प्रारंभिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। विभागीय पत्रांक 4063 दिनांक 18.05.2016 के आलोक में नियुक्ति तीन वर्षो के लिए कि जायेगी जिसे अधिकतम पांच वर्षो तक के लिए संविदाकमियों के नियुक्ति समिति द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर विस्तारित किया जायेगा। पॉच वर्षो के उपरांत यदि ऐसी नियुक्ति की आवश्यकता होगी तो संदर्भाधीन पद पर नियुक्ति हेतु नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
5. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
6. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्त पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की आवश्यकता नहीं है तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर सकते हैं।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। बर्खास्तगी के बाद पुनः बहाली का प्रावधान नहीं है।
8. समर्पित प्रमाण पत्र के असत्यता पर संबंधित अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसके लिए उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

9. रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्त अभ्यर्थीयों के अलावा एक पैनल का निर्माण किया जायेगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक मान्य रहेगी। पैनल की अवधि मेधा सूची के निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

10. निर्गत पैनल में शामिल अभ्यर्थियों का भविष्य में नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

11. आवश्यकतानुसार स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पदों पर ही इस पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को वरीयता, आरक्षण, स्थानीय एवं विभाग द्वारा समय–समय पर प्राप्त निदेश के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति को किसी भी समय रदद् करने या किसी प्रकार का अन्य आवश्यक निर्णय का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

उपायुक्त,
धनबाद।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम– ....पद के लिए

1. अभ्यर्थी का नाम :–
2. पिता / पति का नाम :–
3. स्थायी पता :–

फोटो चिपकावे

4. वर्त्तमान पता :–
5. जन्म तिथि :–
6. 01.08.2018 तक उम्र :– दिन............. माह............... वर्ष................
7. लिंग (पुरूष / महिला) :–
8. कोटि :– अनु0 जा0 / अनु0ज0जा0 / अ0पि0वर्ग / पि0 वर्ग / अनारक्षित (जो लागु हो उसे टिक लगावें)

9. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–

क्र0	परीक्षा का नाम	संस्थान का नाम	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1.					

10. अतिरिक्त योग्यता :–

क्र0	परीक्षा का नाम	विश्वविधालय / संस्थान का नाम	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1					
2					
3					

घोषणा

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो विवरण दिया गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है, इसमें त्रुटि पाये जाने पर दण्ड की भागी होउंगा / होउंगी।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर